प्रेस विज्ञप्ति

1/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत कोयंबटूर अवस्थित फर्म मैसर्स लावण्या ज्वेल्स (बाद में कंपनी मैसर्स लावण्या गोल्ड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित) के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में कोयंबटूर और चेन्नई में स्थित 4 भूखंड, 1 आवासीय भूमि और 1 आवासीय फ्लैट के रूप में लगभग 34.11 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स लावण्या गोल्ड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक को 65.00 करोड़ रुपए की अनुचित क्षति पहुँचाने के संबंध में सीबीआई, बीएस एंड एफसी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि मैसर्स लावण्या ज्वेल्स ने अपने स्टॉक-इन-हैंड, देनदार आदि के बढ़े हुए आंकड़ों के आधार पर बैंक से कैश क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं। उन निजी वित्तपोषकों, जिनसे 60% से 100% प्रतिवर्ष की अत्यधिक ब्याज दर पर नकद ऋण उधार लिए गए थे, के पुनर्भुगतान, और अन्य गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं का जानबूझकर दुरुपयोग किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी पता चला कि उपरोक्त कंपनी के निदेशकों ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए फर्म/कंपनी से अवैध रूप से सोने की ईंटें/सोने के आभूषण बाहर किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने उक्त सोने की सामग्री को भारत के बाहर बिटकॉइन में परिवर्तित कर दिया और धीरे-धीरे कॉम्पलेव क्रिप्टो खातों के द्वारा अपराध की अघोषित और बेहिसाब आय को वैध कर दिया और जिसे संबंधित साझेदारी फर्म में क्रिप्टो लेनदेन से प्राप्त आय के रूप में दिखाया। उसी आय का उपयोग उपरोक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा चेन्नई में 1.70 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी पता चला कि मैसर्स लावण्या ज्वेल्स द्वारा बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों में से एक संपत्ति (जिसका बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक है) को एक रियल एस्टेट इकाई द्वारा ई-नीलामी में धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से बेनामी रूप से रियल एस्टेट इकाई के कर्मचारी के नाम पर लगभग 6.5 करोड़ रुपए के बहुत कम मूल्य पर ले लिया गया, जो अपराध की आय है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को ऐसे ऋण खाते में क्षति होती है।

अतः, धन शोधन में शामिल 34.11 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां निदेशालय द्वारा अनंतिम रूप से जब्त की गई हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।